कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा।

पत्रांक : 1331 / 14-1 मथुरा दिनांक : 27 / 10 / 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त आगरा।

विषय :– जनपद मथुरा में वृन्दावन–छटीकरा–राधाकुण्ड मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के निर्माण में प्रस्तावित 3.1746 है0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ –: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ का पत्र संख्या 8बी / यू0पी0 / 06 / 128 / 2020 / एफ0सी0 / 978 दिनांक 20.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ द्वारा विषयक प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर आख्या मॉगी गयी है।

विषयक प्रकरण पर निम्न बिन्दुओं की आख्या निम्नानुसार प्रेषित है –:

क्र0 सं0	लगाई गयी आपत्तियॉ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	As per Google Earth imageries habitation/building has been observed in proposed route, this needs to be clarified.	जनपद मथुरा में वृन्दावन छटीकरा राधाकुण्ड मार्ग पूर्व निर्मित मार्ग है, जो कि राष्ट्रीय मार्ग–2 को छटीकरा राधाकुण्ड होते हुए गोवर्धन से जोड़ता है। मार्ग के विभिन्न चैनेज में निम्नानुसार राजस्व ग्राम स्थित है, जिनकी वर्ष 2011 की गणना के अनुसार आबादी भी काफी अत्यधिक है :– 1. चैनेज 6.000 से 6.200–छटीकरा– आबादी 5277 2. चैनेज 12.070 से 13.200–राल– आबादी 7698 3. चैनेज 16.000 से 16.200– जुल्हेदी– आबादी 2076 4. चैनेज 17.740 से 18.000– बसोती– आबादी 1912 5. चैनेज 21.000 से 21.400– राधाकुण्ड– आबादी 7511 उपरोक्तानुसार बड़ी–बड़ी आबादी वाले राजस्व ग्राम की एवं मार्ग के दोनों ओर विभिन्न स्थानों पर स्थानीय निवासियों द्वारा बनाई गई Havitation/Building ही गूगलअर्थ पर प्रदर्शित हो रही है। Havitation/Building मार्ग के ROW के बाहर बनी हुई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान में पूर्व निर्मित मार्ग को ROW के अन्तर्गत ही चौड़ीकरण का कार्य कराया जाना ही प्रस्तावित है।
2	Kml file of chainage information is missing. As per provided Kml file only partial part of road is demarcated as a protected forest. Demarcation of Railway side protected forest area is missing, these needs to be clarified.	KML File मै ,दिये गये निर्देशानुसार मार्ग के समस्त चैनेज की चैनेजवार सूचना अंकित कर दी गई है एवं मार्ग के चैनेज 16.780 से चैनेज 16.840 तक रेलवे लाइन को भी मार्क कर पुनरीक्षित KML File पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। पुनरीक्षित KML File के अनुरूप ही जीओ रेफरेन्स मैप भी पुनरीक्षित कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है एवं पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। चूंकि रेलवे लाइन वाला भाग पूर्व में नॉन फॉरेस्ट भाग में दर्शित किया गया था। इस कारण रेलवे लाइन वाले 60 मी0 के भाग पर चौड़ीकरण का कार्य न किये जाने के कारण भी हस्तान्तरित होने वाली प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि की गणना में कोई अंतर नही आयेगा।

3	NOC of Irrigation department is required as there iscanal crossing.	अधिशासी अभियन्ता, अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा (Irrigation) द्वारा अपने पत्रांक 2209/अपर/एन0ओ0सी0 दिनांक 06.10.2020 द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है, जिसकी प्रति सादर संलग्न है। पुनः अवगत कराना है कि सेतु निर्माण का कार्य बिना वृक्ष पातन के सम्पादित कराया जाना है। उपरोक्त मार्ग रा0मा0–2 से गोवर्धन को जोडने वाला प्रमुख मार्ग है। यह मार्ग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों से आच्छादित है, जिसके क्रम में गोवर्धन को जोड़ने वाले समस्त मार्गो का विकास/पैच मुक्त किया जाना अनिवार्य है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि कार्य की महत्ता के दृष्टिगत विषयक मार्ग पर बिना वृक्ष पातन के 3.1746 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की शीघ्र अनुमति प्रदान कराने का कष्ट करें।

संलग्न –: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रघु नाथ मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा

पत्रांक : / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2– अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा।

(रघु नाथ मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा

Protected Forest Land to be Diverted Map for Widening and strengthening work of Vrindavan Chhatikara Radhakund Road (ODR) in District Mathura (U.P)" (Chainage 6.000 to 20.100 KM & Chainage 21.000 to 21.400 KM)

संलग्नक-12

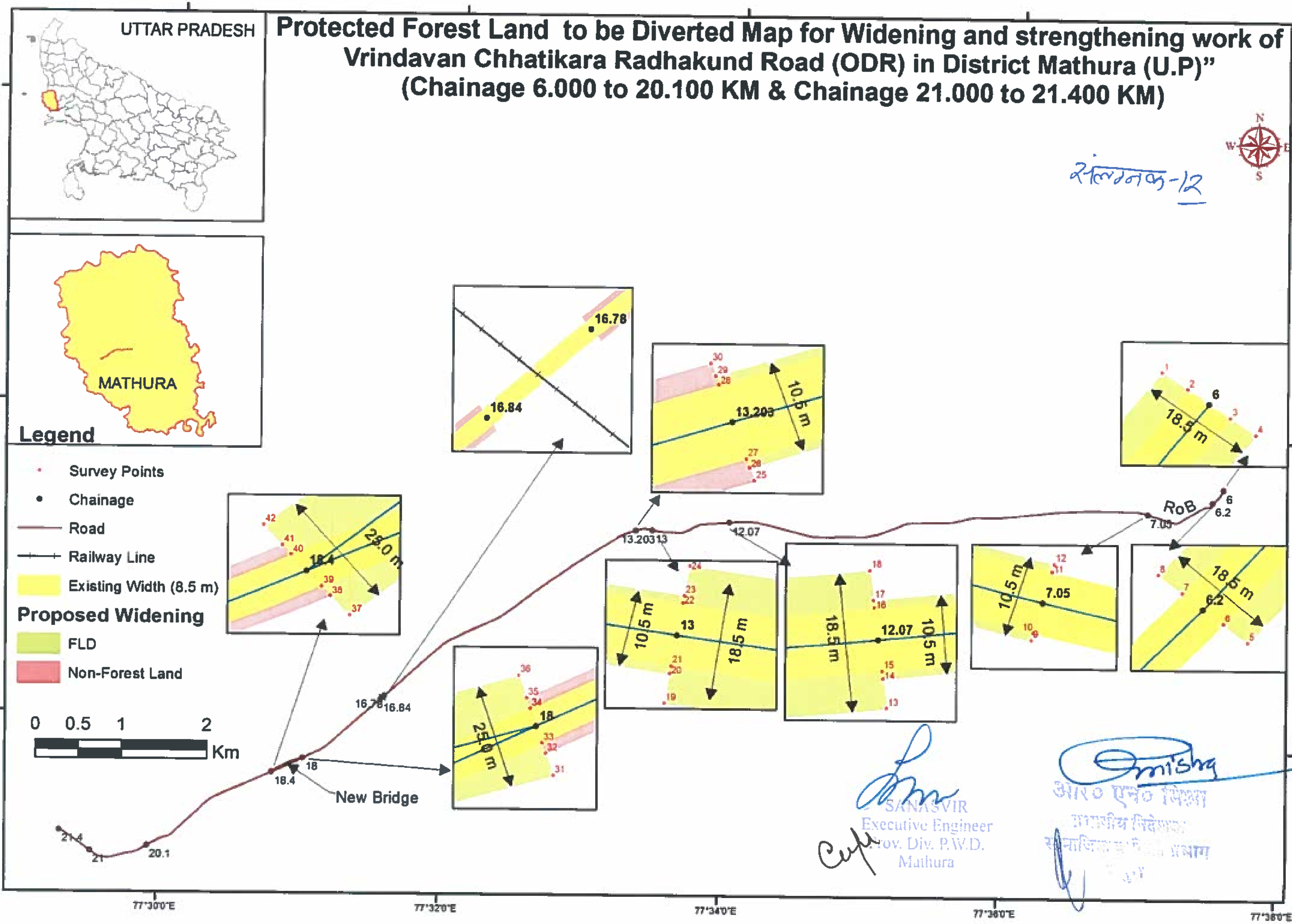

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

आर० एन० मिश्रा

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा।

प्रेषित,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, मथुरा ।

पत्रांक : 2209 /अपर/एन0ओ0सी0/ दिनांक : 06/10/2020

विषय : वृन्दावन–छटीकरा–राधाकुण्ड मार्ग पर बसोती के निकट आगरा कैनाल पर सेतु निर्माण हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक 1408/सी–12, दिनांक 25.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता पंचम, अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा के पत्र सं0 257/स0अ0पं0/अनापत्ति, दिनांक 24.09.2020 द्वारा की संस्तुति के आधार पर वृन्दावन–छटीकरा–राधाकुण्ड मार्ग पर बसोती के निकट आगरा नहर पर नये पुल निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत की जाती है–

1 पुल निर्माण की Drawing एवं प्राक्कलन इस खण्ड से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।
2 पुल निर्माण कार्य नहर की क्लोजर अवधि में कराया जायेगा, जिस हेतु इस खण्ड से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
3 प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग के सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता को सूचित किया जाना आवश्यक होगा। पुल निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग के सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।
4 पुल निर्माण के दौरान अथवा उपरान्त किसी भी घटना (जान–माल एवं कृषि की हानि आदि) का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा एवं उसकी क्षतिपूर्ति हेतु कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।
5 पुल निर्माण करते समय नहर के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
6 पुल निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि नहर को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7 निर्माण कार्य के दौरान नहर को यदि कोई क्षति होती है तो ऐसी स्थिति में आप मरम्मतीकरण के लिए जिम्मेदार होंगे तथा भुगतान भी आपके द्वारा ही किया जायेगा।
8 नाले की सीमा में आ रहे वृक्षों को बिना विधिक अनुमति के नहीं काटा जायेगा।
9 पुल निर्माण के उपरान्त नाले की तली/बैंक से अनावश्यक निर्माण सामिग्री को हटाना होगा।
10 यह अनापत्ति केवल इस कार्य हेतु ही निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में पुनः कोई कार्य कराया जाना होगा तो उसके लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा

आर० एन० मिश्रा
प्रशासनिक निदेशक
[illegible]

पत्रांक : 2209 /अपर/एन0ओ0सी0/ दिनांक : 06/10/2020

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, पंचम, अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा को इस आशय से प्रेषित है कि पुल निर्माण अपनी देख–रेख मे करायें ।

अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा

Assistant Engineer
PWD MATHURA

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura